बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग
(समाज कल्याण निदेशालय)

सं0सं0-10/प्र0गृ0स्था0-39/2015-

आवश्यक सूचना

किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 धारा 27 एवं बिहार किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख एवं संरक्षण) नियमावली, 2017 के नियम 15 के अंतर्गत देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बालकों के आवासन, विकास एवं पुनर्वास इत्यादि हेतु राज्य के प्रत्येक जिले में बाल कल्याण समिति के गठन का प्रावधान है। इन विषयों पर कार्य करने हेतु समिति में संबंधित जिले के एक अध्यक्ष तथा चार सदस्य, जिनमें से कम से कम दो महिला और कम से कम एक सदस्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य एक सदस्य अति पिछड़ा वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग के समुदाय से होंगे। वर्तमान में राज्य के निम्नांकित 37 जिले में निम्न प्रकार बाल कल्याण समिति का गठन/पुनर्गठन रिक्त पदों के विरूद्ध सामाजिक कार्यकर्ताओं का चयन कर किया जाना है:-

क्र0	जिला का नाम	रिक्त पद
1	रोहतास, वैशाली, कटिहार, मुंगेर, खगडिया एवं जमुई	GEN-03, EBC/OBC-01, SC/ST-01
2	भोजपुर, नालंदा एवं बेगूसराय	GEN-01, SC/ST-01
3	बक्सर, अरवल, सारण (छपरा), मुजफ्फरपुर, प0 चम्पारण (बेतिया) एवं लखीसराय	GEN-03, SC/ST-01
4	कैमूर एवं सुपौल	GEN-02, SC/ST-01
5	गया, जहानाबाद, सीवान एवं अररिया	SC/ST-01
6	औरंगाबाद, पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी) एवं पूर्णियाँ	EBC/OBC-01, SC/ST-01
7	नवादा, सीतामढी, शिवहर, दरभंगा, मधेपुरा, किशनगंज, शेखपुरा एवं मधुबनी	GEN-02, EBC/OBC-01, SC/ST-01
8	गोपालगंज	EBC/OBC-01ONLY FOR FEMALE
9	सहरसा	SC/ST-01 ONLY FOR FEMALE
10	समस्तीपुर	GEN-02, EBC/OBC-01
11	भागलपुर	GEN-01
12	बॉका	GEN-01, EBC/OBC-01, SC/ST-01

बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष/सदस्य के रूप में चयन हेतु इच्छुक जिला के निवासी व्यक्ति वांछित कागजात संलग्न करते हुए वेबसाईट www.socialwelfare.bih.nic.in पर Online आवेदन कर सकते हैं। Online आवेदन दिनांक-04.11.2019 (सोमवार) से प्राप्त होगा तथा Online आवेदन दिनांक-25.11.2019 (शुक्रवार) को 05:00 बजे अपराहन तक प्राप्त किये जायेंगे। सामाजिक कार्यकर्ता सदस्यों की आयु न्यूनतम 30 वर्ष और 65 वर्ष से अधिक नही होगा, जिसकी गणना 01-10-2019 से की जायेगी। समिति के अध्यक्ष और सदस्यों को प्रत्येक बैठक के लिए 1500 रूपये (20 बैठक), प्रावधानित है। बैठक का निर्धारण नियमानुसार होगा। आयु के साथ निर्धारित आवेदक की अर्हताएँ किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) नियमावली, 2017 में प्रावधानित है। बिहार किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख एवं संरक्षण) नियमावली, 2017 विभागीय वेबसाईट www.socialwelfare.bih.nic.in पर उपलब्ध है।

नोट- रिक्तियों की संख्या सभी कोटि में घट एवं बढ़ सकती है। स्नातकोत्तर डिग्री के साथ सामाजिक कार्यकर्ता उपलब्ध होने के स्थिति में स्नातक डिग्री प्राप्त सामाजिक कार्यकर्ता के आवेदन पर नियम में निहित प्रावधान के आलोक में विचार नहीं किया जायेगा। आवेदक को आवेदन भरने में तकनीकी समस्या हो तो helpdesk.dswrecruitmentcwc.dsw@gmail.com पर मेल करेंगे, जो आवेदन भरने की अंतिम तिथि तक मान्य है।

निदेशक, समाज कल्याण।